गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय,बाँसवाड़ा

माहीडेम रोड़, बड़वी, बाँसवाड़ा–327001

dr.phd2018@gmail.com

क्रमांक :एफ ( )गोगुजवि/बांस/2024/493 दिनांक : 29 फरवरी 2024

आदेश

विश्वविद्यालय शोध अनुभाग में सत्र –2021 में विभिन्न संकायों में पंजीकृत शोधार्थियों हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाते है :–

1. विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश नियमानुसार शोध कार्य हेतु अधिकतम अवधि **छः वर्ष** (तीन वार्षिक अभिवृद्धि सहित) निर्धारित है।
2. शोध की अवधि शोध पंजीकरण समिति (RRC) की बैठक में अनुमोदित तिथि से ही मान्य है।
3. जिन शोधार्थियों का कोर्स–वर्क शेष है वे दिनांक 10 मार्च, 2024 तक लिखित रूप से अनुभाग में पूर्ण विवरण एवं दस्तावेजों के साथ सूचित करे।
4. कोर्स–वर्क पश्चात् जिन शोधार्थियों की **RRC** अब तक शेष है वे शोधार्थी अपनी सिनोप्सिस के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 10 मार्च, 2024 तक आवश्यक रूप से सूचित करे। तत्पश्चात् किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी।
5. वे शोधार्थी जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली अथवा किसी भी प्रकार की अन्य फैलोशिप प्राप्त कर रहे है वे अपने शोध निर्देशक से यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर मयसील हस्ताक्षर के साथ प्रत्येक माह/तीन माह में स्वयं उपस्थित हो कर जमा करावें।
6. जे.आर.एफ. शोधार्थी जिनकी दो वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है वे अपनी एस.आर.एफ कराये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजों (एक शोध पत्र/शोध प्रबन्ध के एक या दो अध्याय/ सिनोप्सिस एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट) के साथ माह मार्च 2024 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।
7. शोध से सम्बन्धित समस्त नियम एवं अध्यादेश की प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। अतः शोधार्थी प्रत्येक कार्य से सम्बन्धित नियमावली वेबसाईट पर देखे।
8. अनुभाग द्वारा समय–समय पर आयोजित होने वाली बैठक/कार्यशाला/ संवाद/ सेमीनार में उपस्थित होना आवश्यक है।
9. विश्वविद्यालय में जमा प्रत्येक दस्तावेज की प्रति अपने पास रखना सुनिश्चित करे। कार्यालय से किसी भी प्रकार की प्रति नहीं दी जाएगी।
10. शोधार्थी अपना शोध प्रबन्ध कार्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुरूप ही पूर्ण करे।

29/2/2024

कुलसचिव (प्रभार)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. कुलसचिव, गोगुजवि, बॉसवाड़ा।
2. समस्त शोध निर्देशक, गोगुजवि, बॉसवाड़ा।
3. रक्षित पत्रावली।

29/2/2024

निदेशक शोध